

आंध्र में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 8 श्रमिकों की मौत

पटाखा बनाते समय कच्चे माल में गलती से विस्फोट हो गया

अनकापल्ली, 13 अप्रैल। आंध्र प्रदेश में अनकापल्ली जिले के कैलासपट्टनम गांव में रविवार को एक पटाखा बनाने वाली यूनिट में विस्फोट से आठ श्रमिकों की मौत हो गयी और छह अन्य घायल हो गये।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना उस समय हुई जब श्रमिक पटाखे बना रहे थे। इसी दौरान विस्फोटक पदार्थ में गलती से विस्फोट हो गया। जिसमें 8 लोग मारे गए। घायलों को नरसीपट्टनम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीन की हालत बहुत गंभीर बताई गई है।

सुरक्षित बचे श्रमिकों ने मीडिया को बताया कि शादी-ब्याह का मौसम शुरू

■ **पटाखा इकाई को शादी-विवाह के मौसम में बहुत ऑर्डर मिले थे। इसके लिये विस्फोटक कच्चे माल का भारी स्टॉक मौजूद था।**

होने के कारण पटाखा बनाने वाली यूनिट को भारी ऑर्डर मिले थे। प्रबंधन ने पटाखे बनाने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक कच्चा माल स्टॉक किया था, जो पटाखे बनाते समय दुर्घटनावश फट गया।

अनकापल्ली जिला कलेक्टर

विजया कृष्णन ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने श्रमिकों की मौत पर दुःख और पीड़ा व्यक्त की है। और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुःख व्यक्त किया। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से विस्तृत जानकारी ली। कई घायलों की गंभीर हालत पर चिंता जतायी।

इस बीच गृह मंत्री वी अनीता घटनास्थल पर पहुंचीं और दुर्घटना स्थल का दौरा किया।

पिकअप नहर में गिरने से 5 की मौत

कोरबा, 13 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रविवार को एक पिकअप के नहर में गिर जाने के कारण नहर के तेज बहाव में दो बच्चे और तीन महिलाओं सहित पांच लोग बह गए, जबकि पांच लोग अपनी जान बचाने में सफल हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार, करीब 12 लोग पिकअप में सवार होकर सक्ती

■ **नहर के तेज बहाव में दो बच्चे व 3 महिलायें बह गईं।**

जिले के ग्राम रेडा से मुकुंदपुर जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ।

पिकअप चालक गाड़ी को छोड़कर भाग निकला है। हादसे की सूचना मिलते ही कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर सेवा के गोताखोरों के साथ पुलिस की भी टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी है।

सुरक्षा की तलाश में मुर्शिदाबाद से 400 लोगों ने पलायन किया

■ **पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेन्दु अधिकारी ने दावा किया कि पलायन करने वाले पड़ोसी मालदा जिले में शरण लिये हुए हैं।**

कोलकाता, 13 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने रविवार को आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुई हिंसा और आगजनी के बाद मुर्शिदाबाद जिले के अशांत घुलियान से 400 से अधिक लोग सुरक्षा की तलाश में पलायन कर गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है और इतने ही लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। इन लोगों ने पड़ोसी मालदा जिले के देवनापुर-सोवापुर ग्राम पंचायत के पार लालपुर हाई स्कूल और बैसनबनगर में शरण ले ली है।

इस बीच, शनिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, केंद्रीय सशस्त्र बलों को उन सभी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है जहां दंगा और आगजनी हुई थी।

संसद के दोनों सदनों द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित किए जाने

के बाद मंगलवार से ही इलाके में अशांति फैल रही थी। वक्फ अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद के घुलियान, समसेरगंज और सुती में लूटपाट, सरकारी वाहनों को जलाने, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और घरों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। समसेरगंज में 71 वर्षीय व्यक्ति और उसके 40 वर्षीय बेटे

की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और शनिवार को उनके क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए। पुलिस ने उन सभी चिन्हित इलाकों में रूट मार्च भी किया है, जहां से आगजनी की खबरें आई हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शनिवार शाम से ही समसेरगंज पहुंचे और वहां डेरा जमाए हुए हैं।

अधिकारी ने दावा किया कि जान के डर से लोग नदी पार भागने की मजबूर हुए और मालदा के बैणबनगर के देवनापुर-सोवापुर जीपी के पार लालपुर हाई स्कूल में शरण ली।

फलोदी से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अपील की है कि अगर किसी को नशे के कारोबार से संबंधित कोई भी सूचना हो, तो तुरंत सूचना दे। जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

केरल के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फिर राज्यपाल के पास वो अधिकार कैसे हो सकता है, जो राष्ट्रपति के पास नहीं है?

केरल के राज्यपाल ने कहा कि, अगर संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, तो फिर विधायिका और संसद की क्या जरूरत है।

अगर सब कुछ माननीय अदालतों द्वारा तय किया जाता है, तो संसद की जरूरत खत्म हो जाती है। यह न्यायपालिका का अतिक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को बड़ी बैच को सौंपना चाहिए था न कि खंडपीठ इस पर फैसला लेती।

पंजाब में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा कि एन आई ए ने गोल्डी ढिल्लों पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है।

इस संबंध में एनडीपीएस विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत पुलिस थाना एसएसओसी मोहाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

त्रिपुरा: वक्फ अधिनियम विरोधी 8 प्रदर्शनकारियों को 10 दिन की जेल

प्रदर्शनकारियों पर हिंसा भड़काने व पुलिस पर हमला करने का भी आरोप है

■ **पुलिस के अनुसार, शनिवार को प्रदर्शनकारियों के हिंसक हमले में एक एसडीपीओ व कुछ इंस्पेक्टर सहित 18 पुलिसकर्मी घायल हुए। लाठी चार्ज व अश्रु गैस से 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए।**

में एक सब डिविजनल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) और कुछ इंस्पेक्टर सहित कम से कम 18 पुलिसकर्मी और लगभग 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। जहांगीर (51) नामक एक प्रदर्शनकारी

की हालत गंभीर बताई जा रही है। ज्ञातव्य है कि, मुसलमानों ने शनिवार को अल्पसंख्यक बहुल सीमावर्ती उपखंडों - उनाकोटी जिले के कैलाशहर और सिपाहीजाला जिले के सोनामुरा में विरोध प्रदर्शन किया था। दोनों ही विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और कैलाशहर में स्थिति तब गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से तैनात पुलिस कर्मियों पर पत्थर और ईंटें फेंकना शुरू कर दिया।

एक अन्य संबंधित घटनाक्रम में, नागरिक अधिकार मंच के बैनर तले सोनामुरा में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में एक और रैली हुई। हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया, और वक्फ संशोधन अधिनियम की निंदा करने के लिए एक सामूहिक बैठक आयोजित की गई।

 **MARUTI SUZUKI**

NEXA

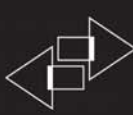
WHERE'S YOUR INSPIRATION TAKING YOU NEXT?

Drive home your favourite NEXA car and explore new horizons.

CREATE. INSPIRE.

3 years **100 000 km** **WARRANTY***
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

 **CONSUMER OFFERS OF UP TO ₹1 00 000***

 **EXCHANGE BONUS OF UP TO ₹1 00 000***

 **PER LAKH EMI STARTING FROM ₹1 470***

ADDITIONAL SCRAPPAGE BONUS UP TO ₹ 15 000 IS AVAILABLE AGAINST VALID CERTIFICATE OF DEPOSIT.



SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY @
WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at
1800-200-6392
1800-102-6392

For detailed T&C kindly visit nearest dealership. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice and offers may vary across variants. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on select models/variants. Finance is at the sole discretion of financier. 3 years or 100 000 km - whichever is earlier. Scrappage offer valid for limited period only and is brought to you by Maruti Suzuki Toyota India Private Limited (a joint venture company between Maruti Suzuki India Ltd and Toyota Tsusho Group). Above offers are valid till 30th April 2025. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper.

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हथ्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आर्यद मैन रोड आर्यद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

